इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपन्न

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 381

भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 जनवरी 2023—माघ 10, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2023

क्र. 1660-38-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 जनवरी, 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् २०२३

मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) अधिनियम, २०२२

[दिनांक २३ जनवरी, २०२३ को राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हुई; अनुमित ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ३० जनवरी, २०२३ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ एवं मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

भाग-एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

- १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.
 - (२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

भाग-दो

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ का संशोधन

धारा ३१ का २. मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ३६ सन् १९८३) की धारा ३१ में उपधारा (२) संशोधन. के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

- ''३ (क) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभिकथित किसी व्यक्ति को, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् ऐसी राशि के भुगतान पर, जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, अपराध का प्रशमन करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और किसी सहायक श्रम अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को प्रशमन करने और उसकी राशि अवधारित करने के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार अधिसूचित और प्राधिकृत भी कर सकेगी.
 - (ख) इस अधिनियम के अधीन शोध्य तथा देय अभिदाय की राशि, यदि कोई हो, के भुगतान पर, और प्रशमन की ऐसी राशि, जैसी कि खण्ड (क) के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अवधारित की जाये, भुगतान पर,—
 - (एक) अपराधी किसी अभियोजन का दायी नहीं होगा; और
 - (दो) यदि कोई अभियोजन पहले ही संस्थित किया जा चुका है, तो प्रशमन का परिणाम अपराधी की दोषमुक्ति होगा.''.

भाग-तीन

मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ का संशोधन

धारा १९ का ३. मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक १३ सन् १९८३) की धारा १९ संशोधन को उसकी उपधारा (१) के रूप में क्रमांकित की जाए, और इस प्रकार क्रमांकित उपधारा के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:-

- ''२(क) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभिकथित किसी व्यक्ति को, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् ऐसी राशि के भुगतान पर, जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, अपराध का प्रशमन करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और किसी सहायक श्रम अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को प्रशमन करने और उसकी राशि अवधारित करने के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार अधिसूचित और प्राधिकृत भी कर सकेगी.
- (ख) प्रशमन की ऐसी राशि, जैसी कि खण्ड (क) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अवधारित की जाये, भुगतान पर,—
 - (एक) अपराधी किसी अभियोजन का दायी नहीं होगा; और
 - (दो) यदि कोई अभियोजन पहले ही संस्थित किया जा चुका है, तो प्रशमन का परिणाम अपराधी की दोषमुक्ति होगा.''

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2023

क्र. 1660-38-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) अधिनियम, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र भारद्वाज, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT No. 9 of 2023

THE MADHYA PRADESH LABOUR LAWS (AMENDMENT) ACT, 2022

[Received the assent of the Governor on the 23rd January, 2023; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th January, 2023.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 and the Madhya Pradesh Slate Pencil Karmkar Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-third year of the Republic of India as follows:—

PART-I PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Labour Laws (Amendment) Act, 2022.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

PART-II AMENDMENT OF THE MADHYA PRADESH SHRAM KALYAN NIDHI

ADHINIYAM, 1982

2. In Section 31 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of Section 31.

1983), after sub-section (2), the following new sub-section shall be added, namely:—

- "(3) (a) Any person alleged with an offence under this Act, before or after the institution of prosecution may be allowed to compound the offence on payment of such amount as may be fixed by the State Government, by notification in the official Gazette and the State Government may also notify and thereby authorise any officer not below the rank of an Assistant Labour Officer for the purpose of compounding and determination of its amount.
- (b) On payment of the amount of contribution due and payable under the Act, if any, and on payment of such amount of compounding, as determined by the authorized officer under provision of clause (a),—
 - (i) the offender shall not be liable to any prosecution; and
 - (ii) if any prosecution has already been instituted, the compounding shall amount to acquittal of the offender.".

PART-III

AMENDMENT OF THE MADHYA PRADESH SLATE PENCIL KARMKAR KALYAN NIDHI ADHINIYAM, 1982

Amendment of Section 19.

- 3. Section 19 of the Madhya Pradesh Slate Pencil Karmakar Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 13 of 1983), shall be numbered as sub-section (1) thereof and after sub-section as so numbered the following new sub-section shall be added, namely:—
 - "(2) (a) Any person alleged with an offence under this Act, before or after the institution of prosecution may be allowed to compound the offence on payment of such amount as may be fixed by the State Government, by notification in the official Gazette and the State Government may also notify and thereby authorise any officer not below the rank of an Assistant Labour Officer for the purpose of compounding and determination of its amount.
- (b) On payment of such amount of compunding, as determined by the authorized officer under clause (a),—
 - (i) the offender shall not be liable to any prosecution; and
 - (ii) if any prosecution has already been instituted, the compounding shall amount to acquittal of the offender.".